

केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
सीएसटीएस - गुवाहाटी

CIPET/GHY/PER/N-C-O/83/2023-24

Date: 04.12.2023

आदेश/ORDER

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन-
तत्संबंधी।

Sub: Re-Constitution of Internal Complaint Committee for Sexual Harassment of women at
Workplace-reg .

Ref: CIPET - Guwahati Committee dated 16.07.2019 and 05.12.2022

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियमों
और विनियमों के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों के साथ आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया
गया है।


The Internal Complaint Committee is reconstituted with the following members in accordance
with the rules and regulations of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention,
Prohibition and Redressal) ACT, 2013.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. श्रीमती मिताली राय, वरिष्ठ तकनीकी सहायक | - अध्यक्ष / Chairman |
| 2. श्री उत्पल बैश्य, अधिकारी (वित्त एवं लेखा) | - सदस्य / Member |
| 3. श्रीमती नमिता शर्मा बरुआ, वरिष्ठ प्रशा सहायक | - सदस्य / Member |
| 4. श्रीमती चंद्रिमा बरुआ महंत तकनीशियन ग्रे. I | - सदस्य सचिव / Member Secretary |
| 5. श्रीमती मोनमीमी गोहाई, सहायक प्रोफेसर | - बाहरी सदस्य / External Member |

एनएलयू, असम

यह आंतरिक शिकायत समिति इस आदेश की तारीख से एक वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले
हो, वैध होगी।

This Internal Complaint Committee shall be valid for one year from the date of this order or
until further order whichever is earlier.


04/12/2023
प्रधान निदेशक एवं प्रमुख /Principal Director & Head

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सभी संबंधित अधिकारी/All Committee members
2. फाइल/File
3. नोटिस बोर्ड / Notice Board